वित्त निर्देश 24/2023

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्र. 432/एफ 2013–04–00416/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.08.2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः–राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान–2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान–2009 में दिनांक 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें।

––0––

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 350/एफ 2013–04–00416/वि/नि/चार, दिनांक 06.07.2023 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को माह 1 जुलाई 2023 से सातवें वेतनमान में 38% की दर से तथा छठवें वेतनमान में 212% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता दिया जायेः–

वेतनमान	अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवां वेतनमान	दिनांक 1 जुलाई 2023	4%	42%
छठवां वेतनमान	दिनांक 1 जुलाई 2023	9%	221%

राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :–

1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का दिनांक 1 जुलाई 2023 से नगद भुगतान किया जाएगा।
2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णकिंत किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
5. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव

पृ.क्र.433/एफ 2013–04–00416/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर,दिनांक 02.08.2023

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर
7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त अपर सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव /विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु

(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव